U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tk/kij
ihBklhu vf/kdkjh ¼ MkW0 jktsU'k 'kekZ] vkbZ-,-,l-

foHkkxh; vihy l[;k 12@2019

vihykUV	बनाम	**jLikMUVl**
राणाराम, तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक, तहसील कार्यालय, पचपदरा, बाडमेर हाल– सेवानिवृत।		1. जिला कलेक्टर, बाडमेर। 2. तहसीलदार, पचपदरा, बाडमेर।

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 आदेश विरूद्ध जिला कलेक्टर, बाडमेर क्रमांक प.1(199)(1)कार्मिक/2015/4074 दिनांक 21.06.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को उनकी दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया।

mifLFkfr%&&

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार तहसीलदार, पचपदरा, उपस्थित हुए।

fu.k;

दिनांकः जनवरी, 2021

1. अपीलान्ट कार्मिक के द्वारा यह विभागीय अपील जिला कलेक्टर बाडमेर के आदेश दिनांक 21.06.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट की दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने पर, उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 23 के तहत दिनांक 10.07.2019 को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर, बाडमेर से अपील पर उनकी बिन्दूवार टिप्पणी एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित मूल अभिलेख पत्रावली को तलब किया गया।

3. मूल अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार को सुनवाई का अवसर देते हुए दिनांक 05.10.2020 को अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार को व्यक्तिगत रूप से सुना गया। अपीलान्ट ने दौरान सुनवाई अपील के सम्बन्ध में यह कथन किया कि अपीलान्ट एवं एक अन्य सहकार्मिक श्री

बिशनाराम, वरिष्ठ लिपिक उपखण्ड अधिकारी, कार्यालय बालोतरा के विरूद्ध श्रीमान जिला कलेक्टर बाडमेर के पत्र दिनांक 17.01.2014 के द्वारा उन पर कुल 06 आरोप आरोपित किये गये थे जो निम्नानुसार हैः––

1. राज्य सरकार द्वारा पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 5 में प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 जारी कर राज्य में पंजीयन जिले एवं उप जिलों की सीमाओं का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 5 उप बिन्दू संख्या 11 में जसोल पंजीयन उप जिले की सीमा का निर्धारण उप तहसील जसोल के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र के अनुसार है। राज्य सरकार ने दिनांक 26.3.2012 से जिले में एनिवेयन पंजीयन पद्धति को समाप्त कर दिया था। क्षेत्राधिकार से बाहर के राजस्व ग्राम जो राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार तहसील पचपदरा के क्षेत्राधिकार में है, उन गांवों के 04 दस्तावेजों को भी पंजीबद्ध किया गया, जो राज्य अधिसूचना के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। जिसके लिये आप आरोपित है।
2. विभागीय पंजीयन मार्गदर्शिका 2009 के परिपत्र संख्या 11/2009 में उल्लेखित पंजीयन प्रक्रिया की 8 चरणीय प्रणाली की पालना के सम्बन्ध में आप द्वारा राज0 मुद्रांक नियम 2004 के नियम 57 के तहत भूमि एवं भवन के दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में चैकलिस्ट दस्तावेज के साथ लिये जाने का प्रावधान है। जॉच में चैकलिस्ट अपूर्ण पाई गई व विभागीय परिपत्र संख्या 11/09 की पालना आप द्वारा सुनिश्चित नहीं की गई, जिसके लिये आरोपित है।
3. आलौच्य अवधि दिनांक 1.4.2013 से 10.7.13 की अवधि में 25 लाख रूपये से अधिक मालियत के 19 दस्तावेज पंजीबद्ध किये गये। जॉच में 2 दस्तावेजों में कम मूल्याकंन से 34,105/– रूपये की राजस्व हानि पाई गई। जिसके लिये आप आरोपित है।
4. उक्त अवधि में 05 दस्तावेजों की मूल्याकंन रिपोर्ट के संलग्न राजस्व नक्शें की छायाप्रति के आधार पर बिकित भूमि ग्रामीण/अन्य सडक पर होना पाई। किन्तु आप द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए दस्तावेजों को सडक से दूर मानकर मूल्यांकन किये जाने से राशि रूपये 1,80,505/– की राजस्व अपवंचना पाई गई जिसके लिये आप आरोपित हैं
5. 25 लाख रूपये से कम मालियत के दस्तावेज के सम्बन्ध में रेण्डम मौका निरीक्षण जॉच की अवधि 1.4.13 से 10.7.13 की अवधि के दस्तावेजों की सूची उपलब्ध नहीं करवाई गई। जिसके लिये आप आरोपित है।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.7.12 के अनुसार जिन गांवों की औघोगिक दरें निर्धारित नहीं है उन गांवों में औधोगिक भूमि का विकास होने पर प्रश्नगत भूमि 05 किलोमीटर दायरे में रीकों की औधोगिक दर अथवा उस गांव की आवासीय दर से

जो भी कम हो, से मूल्यांकन करने का प्रावधान है। ग्राम आंकडली बक्सीराम की औधोगिक दर निर्धारित नहीं होने पर उक्त अधिसूचना के प्रावधानानुसार मूल्यांकन नहीं करने से हुई राजस्व हानि रूपये 8,48,040/– के लिये आप आरोपित है।

4. ज्ञापन आरोप पत्र जारी होने के उपरान्त उक्त आरोपित आरोपों के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा सीसीए नियम 16 के तहत विस्तृत विभागीय जॉच करवाये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर को जॉच अधिकारी नियुक्त किया। जॉच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर के द्वारा जॉच कार्यवाही पूर्ण कर अपने जॉच प्रतिवेदन में आरोपित आरोप संख्या 2 व 5 सिद्ध नहीं होने, आरोप संख्या 1 व 4 आंशिक सिद्ध होना तथा आरोप संख्या 3 व 6 पूर्ण रूप से सिद्ध होना बताया। तत्पश्चात जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जॉच अधिकारी की जॉच रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम निश्कर्ष निकालते हुए तथा जॉच रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए दिनांक 21.06.2018 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलान्ट एवं अन्य सहकार्मिक श्री बिशनाराम, वरिष्ठ लिपिक, दोनों की दो वार्षिक वेतनवृद्धिया संचयी प्रभाव से रोके जाने एवं निलम्बन काल में निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई परिलाभ देय नहीं होने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट को जिला कलेक्टर महोदय एवं विभागीय जॉच अधिकारी द्वारा सीसीए नियम 16 (09) व 16(10) में निहित प्रावधान के तहत किसी प्रकार की सुनवाई का समुचित अवसर दिये बगैर व अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रत्युतर में अंकित ग्राउण्ड पर किसी प्रकार की टिप्पणी किये बगैर तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए एकपक्षीय रूप से दोनों कार्मिकों के विरूद्ध संयुक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अनुशासकीय अधिकारी के द्वारा माननीय राज0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.5.2015 की अनुपालना भी नहीं की गई है जिसमें अपीलान्ट के जबाबी पक्ष को कन्सीडर करने हेतु निर्देशित किया गया था। अपीलान्ट पर आरोपित आरोपों मे वर्णित कृत्यों के लिये वह किसी भी रूप से जिम्मेदार नहीं था क्योंकि उसके पास पंजीयन सम्बन्धी कार्य आवंटित नहीं होकर राजस्व एवं विविध कार्य करने हेतु कार्य आवंटित किया हुआ था। जबकि आरोप पत्र में वर्णित किसी भी प्रकरण में

मुद्रांक कर का अपवंचन नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त जॉच अधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति भी उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

6. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि निलम्बन काल में निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त कोई परिलाभ भुगतान करने के आदेश भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.6.2018 में दिये गये है जबकि अपीलान्ट दिनांक 31.7.2017 को ही सेवानिवृत हो चुका है। ऐसे में उसके सेवानिवृति आदेश में विभागीय जॉच विचाराधीन होने का उल्लेख होने से पिछले 02 वर्षो से अभी तक पेन्शन प्रकरण का निस्तारण नहीं हुआ। इससे उसे पूर्ण पेन्शन भी नहीं मिल रही है।

7. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि एक ही आलौच्य अवधि व एक समान दसतावेज व एक ही दायित्व के लिये सम्बन्धित लिपिक बिशनाराम, पंजीयन अधिकारी ताराचन्द वैकंट को आरोप पत्र जारी कर दिये गये। पंजीयन अधिकारी व पंजीयन लिपिक को प्रस्तावित आरोपों में अपीलान्ट राणाराम का संयुक्त दायित्व होने को कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे में विभाग स्तर से प्रत्येक कार्मिक के विरूद्ध अलग–अलग जॉच कार्यवाही होनी चाहिये थी न कि संयुक्त रूप से। तत. पंजीयन अधिकारी के विरूद्ध आरोपित आरोप संख्या एक को पूर्ण प्रमाणित माना है यानि आप द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर के दस्तावेज पंजीयन किये है। दोनों लिपिकों के विरूद्ध प्रस्तावित एक समान अवधि एवं एक समान दस्तावेजों के अन्य सभी आरोप राजस्व मण्डल अजमेर की जॉच में प्रमाणित नहीं माने गये है। तत0 पंजीयन अधिकारी द्वारा उक्त सभी दस्तावेज को अपने स्तर पर पंजीयन हेतु स्वीकार करना कबूल किया गया है। ऐसे में जॉच अधिकारी के द्वारा लिपिकों के विरूद्ध ''मौखिक रूप से आंशिक बताया गया आरोप'' प्रमाणित नही होता है। इसके अतिरिक्त जिले में कही भी चालू पंजीयन योजना को निरस्त करने की जानकारी उपपंजीयक कार्यालयों को उपलब्ध नहीं कराई गई थी जिससे उक्त प्रकार के पंजीयन उक्त अवधि में सम्पादित हो गये थे। लिपिक वर्गीय कार्मिकों को दस्तावेज पंजीयन हेतु स्वीकार करने या इन्कार करने की अधिकारिता नहीं है। इसके अतिरिक्त जिला पंजियक(जिला कलेक्टर), बाडमेर द्वारा सभी चारों दस्तावेजों को सही पंजीयन कार्यालय, पचपदरा में पुनः पंजीयन का आदेश दे दिया था ऐसे में उक्त आक्षेप का भी कानूनी निस्तारण किया जा चुका था।

8. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि चैकलिस्ट के अपूर्ण होने के सम्बन्ध में आरोप संख्या 2 एवं 5 को जॉच अधिकारी ने प्रमाणित होना नहीं माना था। क्योंकि अपीलान्ट के पास पंजीयन कार्य का चार्ज नहीं था। आरोप संख्या 3 में अंकित भूमि के कम मूल्यांकन का आरोप भी गलत है क्योंकि रीको की भूमि में स्थिति औघोगिक भूमि का मूल्यांकन रीकों की दर या उस क्षेत्र की आवासीय दर, जो भी कम हो, उससे करने का प्रावधान निहित है। रीको कार्यालय, जयपुर द्वारा उक्त भूमि का 800 रूपये प्रति वर्गमीटर दर से निर्धारित था और दस्तावेज का पंजीयन 1070 रूपये दर से हुआ है। इससे किसी प्रकार से मुद्रांक कर का अपवंचन नहीं हुआ है, इसी प्रकार दूसरी सम्पति रोड के सीधे सम्पर्क में स्थित नहीं थी, जो पटवारी रामसीन की रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त आन्तरिक लेखा जॉच दल द्वारा दोनों दस्तावेजों के कम मूल्य पर पंजीयन होने सम्बन्धी कोई पैरा/आक्षेप नहीं किया था। और मौका निरीक्षण की अधिकारिता पंजीयन अधिकारी की होती है न की लिपिक कार्मिकों की। अपीलान्ट के पास दस्तोवज पंजीयन/रजिस्ट्रेशन करने का चार्ज नहीं था अतः आरोप निरस्त योग्य था।

9. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि आरोप संख्या 4 में अन्य सडक पर स्थित बिक्रीत सम्पति के 5 मामलों में कम मूल्याकंन का आरोप लगाया है। जिसमें जॉच अधिकारी ने तीन मामलों में आरोप को प्रमाणित नहीं माना, दो मामलों में आंशिक प्रमाणित होना बताया है क्योंकि बिक्रीत सम्पति रोड पर स्थित नही थी मात्र कच्च कटाणी मार्ग जो पडौसी के खेत की माठ के समान्तर चल रहा है, जो हल्का पटवारी की रिपोर्ट से साबित हो जाती है और रोड कांग्रेस के अनुसार भी ग्रामीण क्षेत्र के दस्तावेज में कोई डामर सडक अंकित नहीं थी। ऐसे में बिक्रीत भूमि रोड पर स्थित होने का तथ्य प्रमाणित नहीं होने एवं किसी प्रकार के मुद्रांक कर का अपवचंन नहीं होने से आरोप निरस्त योग्य है। आरोप संख्या 5 रेण्डम मौका सूची/अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाने को जॉच अधिकारी ने प्रमाणित होना नहीं माना है।

10. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि आरोप संख्या 6 में 6 दस्तावेजों में कम मूल्यांकन किया गया होना बताया है जबकि बिक्रीत सम्पति रीकों औघोगिक क्षेत्र से 25 किमी दूरी पर अविकसित क्षेत्र में स्थित थी तथा डीएलसी दर से सभी

दस्तावेज पंजीकृत किये गये थे। वित विभाग अनुसार रीको यूनिट के 5 कि0मी0 के परीधी क्षेत्र में स्थित औघोगिक विकसित भूमि का मूल्यांकन रीको की दर या उस क्षेत्र की आवासीय दर जो भी कम हो, उससे करने का प्रावधान निहित है। ऐसे में बिक्रीत सम्पति रीको औघोगिक क्षेत्र बालोतरा से 25 कि0मी0 दूर अविकसित परिक्षेत्र में स्थित थी। और डीएलसी अनुसार सडक पर स्थित औधोगिक भूमि की उच्चतम डीएलसी दर 55 रूपये प्रति वर्गफीट से उक्त सभी दस्तावेज पंजीकृत किये गये है। विभागीय जॉच अधिकारी द्वारा 02 वर्ष की अवधि गुजर जाने के पश्चात एकतरफा जॉच सम्पादित की गई है। जबकि उक्त 06 दस्तावेजों के पंजीयन में उक्त अवधि/तत्समय की डीएलसी दर से मूल्यांकन किया जावे तो उसमें अधिक स्टाम्प डयूटी का भुगतान हुआ है, ऐसे में किसी प्रकार से मुद्रांक का अपवंचन नहीं हुआ है। इस प्रकार उपरोक्त आरोप आरोप संख्या 01 से 06 प्रस्तुत अभिलिखित ठोस साक्ष्य/सबूत के आधार पर किसी भी रूप में प्रमाणित/सिद्ध नहीं होते है।

11. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि आलौच्य अवधि 4/2013 से 7/2013 के दौरान तत्समय बिशनाराम वरिष्ठ लिपिक दिनांक 19.4.2005 से लगातार व भीखाराम वरिष्ठ लिपिक (पंजीयन) दिनांक 2.7.2013 से लगतार कार्यरत थे। और इसी अवधि में आन्तरिक लेखा जॉच दल की जॉच प्रतिवेदन अनुसार सम्बन्धित लिपिक बिशनाराम व भीखाराम वरिष्ठ लिपिक का कार्यरत होना माना है। इस अवधि के दिनांक 10.7.2013 तक के दस्तावेज पंजीयन रजिस्टर के समस्त इन्द्राज विशनाराम वरिष्ठ लिपिक के हाथ से अभिलिखित है। अपीलान्ट राणाराम के हाथ से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुतीकरण व दस्तावेज पंजीयन सम्बनित इन्द्राज किया हुआ अंकित नहीं है। अपील प्रकरण में अपीलान्ट के द्वारा किसी प्रकार की चोरी/गबन या राजकीय राशि का दुरूपयोग का कोई गंभीर अपराध कारित नहीं किया गया है और न ही ऐसा कोई तथ्य प्रमाणित पाया गया है जिसके लिये उसे इतना अधिक एवं आनुपातिक दृष्टि से बहुत ज्यादा दण्ड से दण्डित किया है।

12. अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट जो कि राजकीय सेवा से निवृत हो चुका है, पर नम्र रूख अपनाते हुए अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.6.2018 को निरस्त किया जाकर निलम्बन

काल को पेन्शन प्रयोजनार्थ किये जाने व सेवानिवृति के पश्चात लम्बित चल रहे पेन्शन प्रकरण का निस्तारण करवाने का आदेश प्रदान करावें।

13. प्रत्युतर में विभागीय पैरोकार तहसीलदार पचपदरा ने अपीलान्ट की अपील पर जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध की गई विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही को आरोपित आरोपों के सम्बन्ध में उचित माना है तथा अपील को आधारहीन एवं सारहीन होने से खारिज किये जाने का कथन किया है। साथ ही बाडमेर जिले की तहसील पचपदरा व उप तहसील जसोल के पंजीयन क्षेत्रों के सम्बन्ध में की गई जांच में उपपंजीयक जसोल में पदस्थापित पंजीयन लिपिक विशनाराम व राणाराम द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट की जॉच नहीं करने, अपूर्ण चैक लिस्ट के आधार पर दस्तावेजों का पंजीयन करने के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपीलान्ट को निलम्बित करते हुए उनका मुख्यालय राजस्व मण्डल अजमेर किये जाने तथा सीसीए नियम 16 के तहत विभागीय जॉच कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा विभागीय जॉच कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर अपीलान्ट पर आरोप संख्या 1 व 4 में आंशिक रूप से एवं आरोप संख्या 3 व 6 में आरोप सिद्ध होना पाये जाने के कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.6.2018 के द्वारा अपीलान्ट की दो वार्षिक वेतनवृद्धियॉ संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जो बहाल रखा जावें।

14. हमने अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार की ओर से प्रकट किये गये तथ्यों पर मनन किया तथा अपीलान्ट की अपील पर जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी का एवं आरोपित किये गये आरोप के सम्बन्ध में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि अपीलान्ट के द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत अपील में जो तथ्य एवं दस्तावेज दर्शाये गये है, वह समस्त तथ्य जॉच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये हुए है और वहीं तथ्य/दस्तावेज जिला कलेक्टर बाडमेर के समक्ष भी प्रस्तुत किये गये है जिन पर जॉच अधिकारी एवं अनुशासनात्मक अधिकारी विद्वान जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने एवं उनका विश्लेषण करने के उपरान्त ही अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश के द्वारा दण्डात्मक आदेश से दण्डित किया गया है। इसके अतिरिक्त आरोपित आरोपों के

सम्बन्ध में दो बार अलग–अलग जॉच अधिकारियों के द्वारा जॉच कार्यवाही सम्पादित की जाना भी प्रकट होता है जिसमें अपीलान्ट कार्मिक को अपना पक्ष रखने हेतु तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर भी दिया गया है। अपीलान्ट के आग्रह पर जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा दोनों जॉच प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में तीसरी बार उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर से जॉच करवाने बाबत उनकी दोनों जॉच प्रतिवेदनों पर टिप्पणी भी ली गई है। इसके अलावा जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा अपीलान्ट कार्मिक को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया जाना प्रकट है।

15. अपीलान्ट के द्वारा इसके अतिरिक्त प्रस्तुत अपील में भी ऐसे कोई नये तथ्य अथवा साक्ष्य नहीं दर्शा पाया है जिससे अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किये जाने हेतु उनके पक्ष को बल मिलता हो। जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा अपीलान्ट एवं अन्य सहकार्मिक श्री बिशनाराम वरिष्ठ लिपिक के विरूद्ध संयुक्त रूप से जॉच कार्यवाही सम्पादित होने से आरोपित आरोपों में दोनों कार्मिको की संयुक्त भूमिका मान कर जॉच कार्यवाही का निश्कर्ष निकालते हुए ही अपीलान्ट को भी इस हेतु दोषी मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिससे यह न्यायालय सहमत है। ऐसे में उपरोक्त समस्त तथ्यों पर गहनता से मनन करने एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरान्त हमारे मत में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होगा। चूंकि अपीलान्ट कार्मिक राज्य सेवा से वर्तमान में सेवानिवृत हो गया है जिनके द्वारा अपने पेन्शन प्रकरण का लम्बित होना बताया है, इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर बाडमेर को निर्देशित किया जाना उचित रहेगा कि वे तदनुसार अपीलान्ट का पेन्शन प्रकरण तैयार करवाते हुए नियमानुसार पेन्शन स्वीकृत करवाने की कार्यवाही करावें।

16. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट की प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती है तथा जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2018 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक जनवरी, 2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼Mk0 jktsa'k 'kekZ½
fMohtuy dfe'uj
tks/kiqj